अधीक्षक का कार्यालय

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

ज्ञापांक ११०६२/पटना   दिनांक २३/०८/२०१६

निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में मरीजों का कम्प्यूटराईजड निबंधन, सभी विभागों के चिकित्सा संबंधी अभिलेखों के साथ-साथ जन्म-मृत्यु से संबंधित अभिलेखों का कम्प्युटराईजड संधारण, क्लीनिकल पैथोलॉजी विभाग के अधीन मरीजों के जाँच हेतु कम्प्यूटराईजड बिलिंग एवं जाँच प्रतिवेदन का वितरण तथा लेखाशाखा अन्तर्गत विपत्रों का ऑन-लाईन प्रेषण एवं लेखा संबंधी अभिलेखों का कम्प्यूटराईजड संधारण हेतु वाणिज्यकर, सेवाकर एवं श्रम विभाग से निबंधित एजेन्सीयों से निविदा प्रकाशन के ३० दिनों के अन्दर निविदा आंमत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता/एजेन्सी निर्धारित अवधि के अन्दर अधीक्षक, पटना मेूडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को निबंधित डाक/स्पीड-पोस्ट से निविदा जमा कर सकते है। निविदा की विस्तृत जानकारी ूण्चतकइर्पीतण्हवअण्पद से डाउनलोड कर या किसी भी कार्यावधि में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अधीक्षक
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में बेहतर एवं गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा हेतु आये मरीजों को मानक स्तर की सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित कार्यो के लिये कम्प्युटराईजेशन की सेवा देने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से २१ (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड-पोस्ट के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा दो तरह की होगी :- तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा। दोनों तरह के निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में बन्द होना चाहिए, उक्त दोनों लिफाफे पर तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा) एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में अच्छी तरह से सीलड होना चाहिए। अर्न्तनिहित दोनों लिफाफे के साथ-साथ बाहरी लिफाफा पर फर्म का नाम, निविदा की प्रकार, निविदा संख्या आदि सुस्पष्ट बड़े अक्षरों में अंकित होना अनिवार्य होगा।

कम्प्युटराईजेशन सेवा का प्रकार

(१) **केन्द्रीय निबंधन कार्य** - मुख्य निबंधन वाह्य विभाग/शिशु रोग वाह्य विभाग/रेडियोथेरापी वाह्य विभाग/स्त्री रोग एवं प्रसव वाह्य विभाग/शिशु रोग आकस्मिक विभाग/स्त्री रोग एवं प्रसव आकस्मिक विभाग/मुख्य आकस्मिक विभाग/ नाक, कान, गला आकस्मिक विभाग/आँख आकस्मिक विभाग/रेडियोथेरापी आकस्मिक विभाग/चर्म एवं रति रोग आकस्मिक विभाग/ए०आर०टी० आकस्मिक विभाग का निबंधन।

(२) **केन्द्रीय अभिलेखागार** - औषधि विभाग/शल्य विभाग/हड्डी रोग विभाग/स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग/आकस्मिक विभाग एवं अन्य विभागों में चिकित्सा एव जन्म-मृत्यु से संबधित अभिलेखों का संधारण।

(३) **केन्द्रीय जाँच प्रतिवेदन तैयार कर वितरण करना** :- क्लिनिकल पैथोलॉजी विभाग अन्तर्गत आ०एस०बी०, मुख्य आकस्मिकी विभाग एवं वाह्य विभाग में किये गये जाँच से संबंधित बिलिंग एवं प्रतिवेदन तैयार करना।

(४) लेखाशाखा में सभी विपत्रों का ऑन लाईन प्रेषण एवं लेखा कार्यो का संधारण हेतु।

उपरोक्त कार्यो के लिए कम्प्युटर, यु०पी०एस०, प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर), प्रिन्टर, नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट के साथ-साथ उसका परिचालन, रख-रखाव, मैनपावर सहित उपयोग होने वाले स्टेशनरी (लेखाशाखा के कार्य को छोड़कर) आदि की व्यवस्था निविदादाता को स्वंय करना होगा। जिसका प्रति कम्प्युटर सेट का दर अंकित करना अनिवार्य होगा। लेखाशाखा के कार्यो के निष्पादन के क्रम में उपयोग होने वाले स्टेशनरी की आपूर्ति अस्पताल द्वारा किया जायेगा। मरीजों के निबंधन के लिए दर प्रति मरीज अंकित किया जायेगा।

अधिष्ठापित कम्प्युटर का संचालन हेतु कम्प्युटर, यु०पी०एस०, प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर), प्रिन्टर, नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट के साथ-साथ उसका परिचालन, रख-रखाव, मैनपावर सहित उपयोग होने वाले स्टेशनरी पर मासिक व्यय।

उपरोक्त कार्यो के लिए कम से कम कितने कम्प्युटर सेट अधिष्ठापित करना होगा, निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। कम्प्युटर संचालन हेतु निविदादाता को स्थान एवं विद्युत पावर के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

निविदा शर्त्त

(१) निविदादाता/फर्म/कारपोरेट संगठन/संस्था/स्वंय सेवी संस्था/एजेन्सी का अद्यत्तन निबंधन प्रमाणपत्र की स्पष्ट छाया प्रति।

(२) सर्विस टैक्स का अद्यत्तन लाईसेन्स की छाया प्रति।

(३) वैट का अद्यत्तन निबंधन का प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।

(४) बिहार वाणिज्य-कर से प्रेषित फॉर्म सी - ४ की अद्यत्तन छाया प्रति निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

(५) श्रम विभाग में निबंधन का अद्यत्तन लाईसेंस की छाया प्रति। यदि श्रम विभाग में निबंधित नहीं है वह भी निविदा में इस शर्त्त के साथ भाग ले सकते है कि कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् श्रम विभाग में निबंधित हो लेगें, तदूनुसार निबंधन प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(६) ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० में निबंधन का अद्यत्तन लाईसेंस की छाया प्रति। यदि ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० में निबंधित नहीं है तो कार्यादेश निर्गत होने के कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् निबंधित होना अनिवार्य होगा।

(७) आयकर के पैन कार्ड एवं विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की छाया प्रति।

(८) जमानत की राशि हेतु रूपया-१,००,०००ऋ०० (एक लाख) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/एन०एस०सी० जो अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पद पर नाम से देय/प्लेज्ड होगा। लघु उद्योग इकाई से निबंधित कम्पनी/एजेंसी को जमानत की राशि में नियमानुकूल छुट देय होगा।

(९) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र मूल रूप में सलग्न करना अनिवार्य होगा।

(१०) कम्प्यूटराइजेशन सेवा हेतु कितना स्थान एवं अन्य सुविधा की आवश्यकता होगी उसकी विस्तृत चर्चा करना होगा।

(११)निविदादाता को राज्य के सरकारी अस्पतालों में तीन वर्षो का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तदनुसार सम्पुष्टि में स्वंय अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना होगा।

(१२) वित्तीय निविदा में कम्प्यूटराइजेशन सेवा के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यो के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग सभी कर (दर्शाते हुए) कर रहित एवं कर सहित दर सुस्पष्ट अंक एवं अक्षरों में अंकित करना होगा।

(१३) वित्तीय निविदा के साथ इस आशय का ‘‘ इस फनवजमक त्ंजम से कम दर पर किसी भी सरकारी संस्थानों कार्य नहीं करने का प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ पत्र मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(१४) यह निविदा कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए मान्य/वैध होगी।

(१५) तकनीकी निविदा के साथ दिये गये कागजातों से सम्बंधित क्रमवार प्रिन्टेड चेक लिस्ट लगाना होगा।

(१६) क्रय समिति द्वारा तकनिकी निविदा योग्य पाये जाने पर ही तदनुसार वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(१७) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निविदादाता को संस्थान के साथ देय शर्त्तो के तहत एकरारनामा करना होगा। साथ ही अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैक का २,००,०००ऋ०० (दो लाख) रूपये का बैंक गांरटी भी जमा करना होगा। तत्पश्चात् अग्रधन की राशि लौटा दी जायेगी।

(१८) स्वीकृत निविदादाता के कार्य में बाधा उत्पन्न होने के स्थिति में प्रति कम्प्युटर १,०००ऋ०० (एक हजार) रूपये प्रतिदिन दर से जुर्माना लिया जायेगा, जो निविदादाता के उसी माह के विपत्र से वसूली कर ली जायेगी। लगातार तीन दिनों तक सेवा बाधित होने पर उनकी निविदा रदद् करते हुए बैंक गांरटी जप्त कर ली जायेगी और उनपर विधिवत वैधानिक कार्रवाई भी की जायेगी।

(१९) निविदा स्वीकृत होने तथा एकरारनामा के पश्चात् एक माह के अन्दर संस्थान में उपर्युक्त वर्णित कम्प्युटराईजेशन सेवा सफलता पूर्व कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा।

(२०) निविदा कम्प्युटर टंकित होना चाहिए। हस्तलिखित एवं ओवर राईटिंग वाले निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
(२१) निविदा के साथ सभी अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण पत्र पर उल्लेखित करते हुए प्रमाणित करना होगा साथ ही सभी अनुलग्नकों को मुहर सहित स्वअभिप्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
(२२) निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यो को पूरा नहीं करने पर द्वितीय ($र_2$) स्वीकृत निविदादाता से गुणवत्ता के आधार पर ($र_1$) दर पर कार्य लिया जायेगा और पूर्व प्राधिकृत निविदादाता का बैक गांरटी जप्त करते हुए उन्हे कालीसूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
(२३) निविदा शर्त्त एवं कार्यो के प्रकार में फेर बदल करने का अधिकार अधीक्षक/क्रय समिति को सुरक्षित है।
(२४) कार्य हेतु प्राधिकृत निविदादाता से कभी भी किये गये कार्य का पूर्णतः अथवा अशंतः प्रतिवेदन माँगे जाने पर निशुल्क प्रतिवेदन देना होगा।
(२५) किसी भी या सभी निविदा को पूर्णतः अथवा अशंतः स्वीकृत/अस्वीकृत/रदद् करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक/क्रय समिति को सुरक्षित है।
(२६) उपरोक्त शर्त्तो के अलावा निविदादाता को मरीज एवं अस्पताल हित में मानक एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से समय-समय पर लागू किये जाने वाले अन्य शर्त्तो का नियमानुसार पालन करना होगा।
(२७) कार्य संतोषप्रद नहीं होने के स्थिति में स्वीकृत निविदा एक निर्धारित अवधि का नोटिस/सूचना देकर रदद् की जा सकती है।
(२८) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना होगा।

अधीक्षक
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना